

सेवा में,

मैसर्स हरमन प्रोपर्टीज लि०  
द्वारा डायरेक्टर श्री के.पी.एस. कुकरेजा,  
निवासी-डब्लू.जेड-48, वेस्ट पटेल नगर,  
खानपुर, दिल्ली।

**विषय:- मानचित्र संख्या: 06/12 (संशोधित) निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या: 1395/19/मान.अनु./जोन-सी/19 दिनांक: 30.01.2019 के क्रम में आपके द्वारा वाहय विकास शुल्क के मद में आरोपित शुल्क रू० 1,00,83,093/- के सापेक्ष रू० 50,50,000/-, निरीक्षण शुल्क रू० 7,82,204/- ग्रामीण विकास शुल्क रू० 8,53,618/- कुल रू० 66,85,822/- दिनांक: 20.03.2019 एवं दिनांक: 22.03.2019 को जमा करने के पश्चात उपाध्यक्ष/सचिव महोदय के आदेश दिनांक: 26.03.2019 के क्रम में अवशेष धनराशि रू० 53,82,724/- को ब्याज सहित दो माह में जमा कराना होगा।

उक्त धनराशि जमा करने एवं मानचित्र निर्गत करने के आदेश दिनांक: 26.03.2019 के अनुपालन में प्रस्तावित तलपट मानचित्र (संशोधित) संख्या: 06/12 ग्राम-मलियाना के खसरा संख्या: 607, 669, 671, 672, 673, 600पार्ट, 595पार्ट, 581पार्ट, 587पार्ट, 582पार्ट पर निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है।

1. अवशेष वाहय विकास के मद में अवशेष धनराशि रू० 53,82,724/- को दो माह के अन्दर ब्याज सहित जमा करना होगा। अन्यथा की दशा में पोस्ट डेटिड चैक से भुगतान कोष में जमा करा लिया जायेगा।
2. यह मानचित्र अनुमति की दिनांक से केवल तीन वर्ष तक वैध रहेगा।
3. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
4. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 के अधीन दण्डनीय है।
5. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
8. नियोजित भूखण्डों पर भवनों का निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त करना होगा।
9. आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के मानकों के अनुरूप करना होगा।
10. भविष्य में भू-स्वामित्व सम्बन्धित कोई भी विवाद होने पर विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण मानको के अनुरूप करना होगा।
12. निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

13. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त कालोनी को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित करना होगा।
14. कालोनी को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित करने तक आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव का दायित्व कालोनाईजर/रेजीडेन्स वैलफेयर एसोसिएशन का होगा।
15. सडको के जंक्शन पर फायर हाइड्रेंट लगाने होंगे।
16. वृक्षारोपण का कार्य मानको के अनुरूप करना होगा।
17. भविष्य में यदि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग परिवर्तित होता है तो प्रश्नगत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा आवेदक को नवीन भू-उपयोग के अनुसार प्रस्तावना/आवेदन करना होगा।
18. कूड़ा निस्तारण हेतु चिन्हित स्थल का नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरण तक संरक्षित करना होगा।
19. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
20. उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या: 21/2014 वर्धमान कौशिक एव अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डियन एवं अन्य में परित मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक: 10.11.2016 के अनुपालन हेतु दी गयी शर्त, जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का पालन करना होगा। स्थल पर निर्माण के दौरान जो भी भवन सामग्री एकत्रित है, निर्माण के समय धूल/डस्ट न उड़ पाये, इसके लिए उसको सही प्रकार से ढके जाने एवं निर्माण के दौरान जो भी सामग्री ट्रको के माध्यम से आती है, उसको भी सही प्रकार से ढक कर लाये।  
इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

22/11/19  
 प्रभारी मानचित्र  
 मेरठ विकास प्राधिकरण,  
 मेरठ। *d/c*